झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग पर ED का छापा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग जाँच के तहत राँची में **झारखंड ग्रामीण विकास विभाग** के परिसरों पर छापा मारा, जिसमें उसने हाल ही में भारी नकदी ज़ब्त की।

मुख्य बिंदु:

- ED ने न्यायालय के समक्ष दावा किया था कि ग्रामीण विकास विभाग के "ऊपर से नीचे (Top to bottom)" तक के सरकारी अधिकारी कथित अवैध नकद भुगतान साँठगाँठ में शामिल हैं।
- यह भी दावा किया गया कि मामले में "वरिष्ठ नौकरशाहों और राजनेताओं" के नाम सामने आए हैं तथा इसकी जाँच की जा रही है।
- **मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सितंबर 2020** में झारखंड पुलिस की **भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (जमशेदपुर)** और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा राज्य ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता व कुछ अन्य के खिलाफ मार्च 2023 में दर्ज की गई FIR पर आधारित है।

प्रवर्तन निदेशालय (The Directorate of Enforcement- ED)

- प्रवर्तन निदेशालय (ED) एक **बहु-अनुशासनात्मक संगठन** है जो मनी लॉन्ड्रिंग **(अवैध धन को वैध करना) के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन** की जाँच करता है।
  - यह **वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य** करता है।
- भारत सरकार की एक प्रमुख वित्तीय जाँच एजेंसी के रूप में ED **भारत के संविधान और कानूनों के सख्त अनुपालन में कार्य** करता है।

धन शोधन या 'मनी लॉन्ड्रिंग'

- **मनी लॉन्ड्रिंग का अभिप्राय अवैध रूप से अर्जित आय को छिपाना या बदलना है** ताकि वह वैध स्रोतों से उत्पन्न प्रतीत हो। यह अक्सर मादक पदार्थों की तस्करी, डकैती या ज़बरन वसूली जैसे अन्य गंभीर अपराधों का एक घटक है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग **विश्व** सकल घरेलू उत्पाद (GDP) **के 2 से 5%** के बीच होने का अनुमान है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/ed-raids-jharkhand-s-rural-development-department